2025:CGHC:10638

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 783/2025

• अविनाश पेशवानी पिता श्री सुरेश पेशवानी, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– शीला पार्क ए– 207 थाना– सरकण्डा जिला – बिलासपुर (छ.ग.) (जमानत पर)

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

• छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना सिविल लाइन बिलासपुर , जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

... उत्तरवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : सुश्री बीनू शर्मा, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

04/03/2025

1. याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 150/ 2024 में दिनांक 23.01.2025 को पारित एवं विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 2130/2021 में दिनांक 28.01.2023 को पारित आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 19.03.2020 को परिवादी सुरेश कुमार बाजपेयी ने पुलिस थाना सिविल लाइन्स बिलासपुर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अमेरी स्थित लगभग 4000 वर्ग फीट भूमि का स्वामी है। आरोप है कि याचिकाकर्ता और सह–अभियुक्त कमल किशोर ने उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के प्रयोजन से परिवादी के शेड को ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में परिवादी के संरक्षक द्वारा दिनांक 06.03.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता और सह–अभियुक्त कमल किशोर ने समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया कि उन्होंने उक्त भूमि को क्रय करने हेतु परिवादी के साथ एक अनुबंध किया है और इस प्रकार उन्होंने अपराध कारित किया। परिवादी सुरेश कुमार बाजपेयी द्वारा की गई उपरोक्त परिवाद के आधार पर याचिकाकर्ता और सह–अभियुक्त कमल

किशोर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 427, 447/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपराध क्रमांक 220/2020 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने पर दिनांक 04.12.2020 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया। तर्क किया गया है कि अभियोजन ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य जब्त नहीं किया है तथा चालान में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो कि वर्तमान याचिकाकर्ता कथित अपराध में संलिप्त है, इसके बावजूद, अभिलेख पर कोई सामग्री प्रस्तुत न होने के कारण, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.01.2023 के आदेश के अधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 420, 447 व 427/34 के अधीन आरोप विरचित किए हैं। दिनांक 28.01.2023 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया और दिनांक 23.01.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को खारिज कर दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 23.01.2025 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से अनुचित, विकृत एवं त्रुटिपूर्ण है, अतः अपास्त/रद्द किये जाने योग्य है। चालान के साथ केवल दिनांक 04.03.2020 का एक विज्ञापन उपलब्ध है, एवं उक्त विज्ञापन सह–अभियुक्त कमल किशोर गुप्ता द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था। उन्होंने यह भी तर्क किया कि परिवादी सुरेश कुमार बाजपेयी और याचिकाकर्ता के मध्य खसरा क्रमांक 448/49, 448/50, 448/52 व 448/53 कुल क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट भूमि के संबंध में विवाद है, जो ग्राम अमेरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित है, अतः परिवादी ने याचिकाकर्ता को इस प्रकरण में झूठा फंसाया है। आगे उनका तर्क है कि परिवादी और याचिकाकर्ता के मध्य विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है और इस प्रकरण में कोई दाण्डिक प्रकरण नहीं बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप विरचित करने का आदेश विधि की दृष्टि से अनुचित है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया सामग्री के आधार पर विरचित किए जा सकते हैं और याचिकाकर्ता के विरुद्ध चालान में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 420, 447 व 427/34 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित, वैध तथा पूर्णतः विधि सम्मत है तथा इसमें कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेखों का परिशीलन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभिलेखों के परिशीलन तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता तथा सह–अभियुक्त कमल किशोर ने परिवादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त सामग्री और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप विरचित किए हैं, जो न्यायसंगत व युक्तियुक्त है, अतः आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः इसे अपास्त करने से इनकार किया जाता है।

7. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं तथा इसके समर्थन में साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध हैं, तथा इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 447 व 427/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए हैं।

8. उपर्युक्त कारणों को विचार में रखते हुए तथा **एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त), **मुन्ना देवी** (पूर्वोक्त), **पी. विजयन** (पूर्वोक्त) और **मनेन्द्र प्रसाद तिवारी** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के संबंध में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत तथा विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के चरण में इस न्यायालय के हस्तक्षेप के सीमा को विचार में रखते हुए, मुझे इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करने तथा याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध उससे प्रोद्भूत कार्यवाही हेतु हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. तदनुसार ,दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन वर्तमान याचिका **खारिज** की जाती है।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur